संख्या-296/2021/1251/41-2021-94(बजट)/2018

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 2021

विषय-**वित्तीय वर्ष 2020-21 के 13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ परिषद मथुरा-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में बची हुई धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7705/3-लेखा/ब्र0ती0वि0प0/2020-21, दिनांक 23 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 150.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रावधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2020-21	01/2020/1133/41-2020-94(बजट)/2020 दिनांक 16.04.2020	150.00	50.00
2	2020-21	117/2021/4861/41-2021-94(बजट)/2018 दिनांक 10.01.2021		50.00
			कुल धनराशि	100.00

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 23.03.2021 द्वारा अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 100.00 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराश रू0 150.00 लाख के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बची हुई धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 16.04.2020 एवं दिनांक 10.01.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर ही किया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5. प्रस्तर-4 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-ई0-7-655/दस-2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ परिषद, 32, सिविल लाइन मथुरा।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in